राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 177/2019

1. नेकीराम पुत्र लिक्षमण उम्र 65 वर्ष
2. तीजली पत्नी हुकमीचन्द उम्र 58 वर्ष
3. रणवीर पुत्र हुकमीचन्द उम्र 44 वर्ष
4. महिपाल पुत्र हुकमीचन्द उम्र 40 वर्ष
5. जयपाल पुत्र हुकमीचन्द उम्र 38 वर्ष
6. मीना पुत्री हुकमीचन्द उम्र 35 वर्ष जाति समस्त जाट निवासी मांदरी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादीगण

ब--ना--म

1. समाकोर पत्नी चन्दगीराम
2. अशोक कुमार पुत्र चन्दगीराम
3. ओमप्रकाश पुत्र चन्दगीराम
4. छाजूराम पुत्र चन्दगीराम समस्त जाति जाट निवासी मांदरी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

:: निर्णय :: **दिनांक 21–02–2022**

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम मांदरी स्थित भूमि खाता सं. 56 के ख.नं. 290 रकबा 0.87 है., ख.नं. 450 रकबा 0.96 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.83 है. भूमि के वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 संयुक्त खातेदार काश्तकार है जिसमें वादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा, वादी सं. 2 लगा. 6 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 भी 1/3 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादी सं. 2 लगायत 6 के हकपूर्वाधिकारी हुकमीचन्द पुत्र लिक्षमण फौत हो चुका है। वादी सं. 2 स्व. हुकमीचन्द की बेवाह है व वादी सं. 3 लगायत 5 स्व. हुकमीचन्द के पुत्र है व वादिया सं. 6 स्व. हुकमीचन्द की पुत्री है। जमाबंदी संवत् 2031 लगायत 2034 में गंगाराम, लिक्षमण पिता बल्लाराम कौम जाट दर्ज है लेकिन इसके बाद की जमाबंदी में राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से चन्दगीराम, नेकीराम, हुकमीचन्द पिता गंगाराम दर्ज कर दिया जबकि चन्दगीराम, नेकीराम, [illegible] पिता लिक्षमण दर्ज होना चाहिए था। राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता के [illegible] की प्रविष्टि गलत चली आ रही है। इसलिये वादीगण को उक्त रिकार्ड [illegible] हेतु यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि–

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.18 11:18:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner

(क) ग्राम मांदरी तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता सं. 56 ख.नं. 290 रकबा 0.87 है., ख.नं. 450 रकबा 0.96 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.83 है. के रिकार्ड राजस्व में वादी सं. 1 नेकीराम पुत्र गंगाराम व हुकमीचन्द पुत्र गंगाराम को दुरूस्त किया जाकर नेकीराम पुत्र लिक्षमण व हुकमीचन्द पुत्र लिक्षमण दर्ज किया जावे।

(ख) उक्त भूमि के रिकार्ड में वादी सं. 2 लगायत 6 के पति/पिता का नाम हुकमीचन्द पुत्र गंगाराम को दुरूस्त कर हुकमीचन्द पुत्र लिक्षमण दर्ज किया जाकर हुकमीचन्द पुत्र लिक्षमण के स्थान पर वादी सं. 2 लगायत 6 के नाम से विरास्तन नामांतकरण दर्ज कर 1/3 हिस्से का यानि प्रत्येक को 1/15, 1/15 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2076–2079 (प्रदर्श–1), मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–5), जमाबंदी संवत् 2043 (प्रदर्श–3), संवत् 2031–2034 (प्रदर्श–2), प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मांदरी (प्रदर्श–4), फोटो प्रति आधार कार्ड नेकीराम, तीजली, रणवीर, महीपाल, जयपाल, मीना के पेश किये गये तथा साक्ष्य में शपथ पत्र महिपाल (पी.डब्ल्यू.–1), होशियार सिंह (पी.डब्ल्यू.–2) भी पेश किये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी राजस्व अभिलेख के वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम मान्दरी तहसील खेतड़ी स्थित हाल जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 56 खसरा नंबर 290, 450 कुल किता 2 कुल रकबा 1.83 है. में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि नेकीराम पुत्र गंगाराम, हुक्मीचन्द पुत्र गंगाराम के स्थान पर नेकीराम पुत्र लिक्षमण, हुक्मीचन्द पुत्र लिक्षमण दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तत्पश्चात् हुक्मीचन्द पुत्र लिक्षमण के स्थान पर वादी सं. 2 लगायत 6 के नाम से विरास्तन नामांतकरण दर्ज कर 1/3 हिस्से का अर्थात् प्रत्येक को 1/15–1/15 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21–02–2022 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.18 11:18:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner